न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ़, (अजमेर)

राजस्व वाद संख्याः—26/2019 दायर दिनांकः—08.04.2019

1. माफी मंदिर श्री राधामोहन जी महाराज जरिये पुजारी श्री श्यामलाल शर्मा शिष्य श्री गोपालदास जाति ब्राह्मण(साधु) निवासी ग्राम छोटा नरेना तहसील रूपनगढ जिला अजमेर राज.।

———प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ।

——अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम बाबत् राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्ती हेतु

निर्णय

दिनांकः—08.12.2021

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि वाकै ग्राम नरेना पटवार हल्का जूणदा भू.अ.नि. क्षेत्र भदूण तहसील रूपनगढ जिला अजमेर में स्थित है। जिसके वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी अनुसार नवीन खाता संख्या 209 के खसरा नम्बर 545 हैं जिसमें रकबा 04 बीघा 15 बिस्वा, किस्म तालाबी—1है। जिसमें राजस्व रिकार्ड अनुसार माफी मंदिर श्री राधामोहन जी महाराज के नाम पहले प्रार्थी के गुरूदेव जी गोपालदास जी महाराज का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो रखा था जिनका नाम पहले ही राजस्व रिकार्ड से विलोपित कर दिया गया था जिसके बाद मुझ प्रार्थी का नाम दिनांक 12.09.2018 को राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र के तहत मुझ पुजारी श्यामलाल शर्मा का नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। राज्य सरकार ने इस परिपत्र के द्वारा पुजारी का नाम पुनः जोड़ने का परिपत्र जारी किया हैं। जिसके तहत मुझ प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। मुझ प्रार्थी पुजारी के रूप में श्यामलाल शर्मा शिष्य श्री गोपालदास का राजस्व रिकार्ड में नाम अंकित किया जावे। मुझ प्रार्थी के नाम पर मेरे गुरूदेव की वसीयत है तथा सजरा प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ। जिसमें श्यामलाल शर्मा शिष्य श्री गोपालदास दर्ज है। प्रार्थी के गुरूदेंव जी श्री गोपालदास जी महाराज का नाम पहले विलोपित कर दिया गया था अब उनका गोलोकवास हो गया है अतः राज्य सरकार द्वारा दिनांक 12.09.2018 को जारी परिपत्र के तहत मुझ पुजारी श्यामलाल शर्मा का नाम मंदिर भूमि के साथ जरिये पुजारी अंकन किया जावे । राज्य सरकार ने इस परिपत्र के द्वारा पुजारी का नाम जोड़ने का परिपत्र जारी किया है। जिसके तहत मुझ प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके तहत प्रार्थी का नाम अमल दरामद किया जाये। प्रार्थी को मंदिर की कृषि भूमि के विकास करने में राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाली सुविधाएं, विद्युत कनेक्शन सहित अन्य राजकीय कार्य में काफी परेशानियों का सामना करना

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Jangid
Date: 2022.03.21 16:17:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

पड़ता है। प्रार्थी ने अपने कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी में पुजारी की हैसियत से जोड़ा जावे। जिसके लिए पटवारी हल्का से जमाबन्दी की नकल दिनांक 02.04.2019 को प्राप्त की तब प्रार्थी को जानकारी प्राप्त हुई कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी में प्रार्थी के गुरूदेव का नाम पूर्व में जारी आदेश से मेरे गुरूदेव जी गोपालदास जी महाराज को विलोपित कर दिया गया था जिसके बाद राज्य सरकार द्वारा दिनांक 12.09.2018 को जारी परिपत्र में मुझ पुजारी श्यामलाल शर्मा का नाम मंदिर के साथ जरिये पुजारी अंकन किया जावे राज्य सरकार ने इस परिपत्र के द्वारा पुजारी का नाम पुनः जोड़ने का परिपत्र जारी किया हैं। जिसके तहत मुझ प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके तहत मुझ प्रार्थी का नाम अमल दरामद किया जावे। जबकि प्रार्थी के वसीयत, सजरा व परिपत्र के अनुसार श्यामलाल शर्मा शिष्य श्री गोपालदास को रिकार्ड दुरूस्ती चाहता है जिसके समर्थन में यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। मेरे गुरूदेव का गोलोकवास हो गया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थी का नोटिस तामिलशुदा प्राप्त हुआ। अप्रार्थी की ओर से प्रकरण में जवाब पेश किया गया। प्राप्त जवाब अनुसार ग्राम नरेना पटवार मण्डल जूणदा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र भदूण, तहसील रूपनगढ जिला अजमेर की जमाबंदी संवत् 2071 से 2074 के खाता संख्या 209 में खसरा नम्बर 545 रकबा 4–15 बीघा माफी मंदिर श्री राधामोहनजी महाराज स्थान देह खातेदार के नाम पर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज है। ग्राम नरेना की वर्किंग जमाबन्दी संवत् 2041 के खाता संख्या 92 में खसरा नम्बर 545 रकबा 4–15 बीघा माफी मंदिर श्री राधामोहन जी महाराज स्थान देह खातेदार पुजारी गोपालदास शिष्य लक्ष्मीनारायण कौम साधू सा0 देह के नाम दर्ज थी एवं जमाबन्दी संवत् 2048 से 2051 तक खसरा नम्बर 545 रकबा 4–15 बीघा माफी मंदिर श्री राधामोहन जी महाराज स्थान देह खातेदार पुजारी गोपालदास शिष्य लक्ष्मीनारायण कौम साधू सा0 देह के नाम दर्ज थी जिसमें जरिये नामान्तरकरण संख्या 74 स्वीकृत दिनांक 20.05.1992 से पुजारी श्री गोपालदास चेला लक्ष्मीनारायण का नाम विलोपित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 12.09.2018 में मंदिर की भूमि में पुजारी या सरवराकार का नाम पुनः राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने का परिपत्र में कोई उल्लेख नही है केवल एक पृथक पंजिका बनाकर उसमें पुजारियों का नाम अद्यतन रखने के निर्देश प्रदान किये गए है।

वाद अधीन भूमि मन्दिर माफी की भूमि है एवं मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है इसलिए मन्दिर मूर्ति की भूमि में किसी का नाम जोड़ा जाना उचित नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाने की कृपा करावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2022.03.21 15:17:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया। तद्नुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रुप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार रुपनगढ को तहसील कार्यालय में इस बाबत् संधारित की जा रही पृथक पंजिका में पुजारी का नाम अद्यतन रखने हेतु निर्देशित किया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 08.12.2021 को कैम्प कोर्ट प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प ग्राम पंचायत मुख्यालय त्योद में सुनाया जाकर हस्ताक्षर किये गये एवं शामिल पत्रावली किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रुपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रुपनगढ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी रुपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2022.03.21 16:17:54 IST
Reason: SelfAttested